Regarding transparent mechanism to determine price of eggs

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । देश भर में अंडे की कीमतों को लेकर पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण का पूर्णत: अभाव, जो न केवल उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, बल्कि छोटे मुर्गीपालकों को भी संकट में डालता है । दूध और पनीर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत जहां सरकारी तंत्र या सहकारी समितियों के माध्यम से तय की जाती है, वही अंडे जैसे मूलभूत पोषण स्रोत की कीमतें रोजाना एक निजी संस्थान नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा तय की जाती हैं, जिसके पास न तो कोई कानूनी अधिकार है और न ही पारदर्शिता की कोई गारंटी है ।

माननीय सभापति महोदया, इस सदन को यह जानकर चिंता होनी चाहिए कि जनवरी, 2022 में प्रतिस्पर्धा आयोग ने एनईसीसी को प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का दोषी पाया था । आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंडे की कीमतें बाजार की शक्तियों से तय नहीं हो रही थीं, बल्कि एनईसीसी के केन्द्रीय समिति द्वारा हर सप्ताह जोनल चेयरमैनों के बीच समन्वय से तय होती थीं । एनईसीसी किसानों पर इस घोषित कीमतों को लागू करने का दवाब बना रहा था । सितंबर, 2022 में एनसीएलटी ने भी इस आदेश को सही ठहराया, हालांकि जुर्माना नहीं लगाया गया, यह कहते हुए कि एनईसीसी छोटे किसानों के हित में कार्य कर रहा है । ? (व्यवधान)